"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 500] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2015 — आश्विन 22, शक 1937

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-17-106/2009/25-2. — अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 7 'राहत एवं सहायता' में उल्लिखित अपराध का नाम और राहत की न्यूनतम राशि संबंधी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची
अनुबंध-1
[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12 (4) देखिये]

राहत रकम के लिये सन्नियम

स. क्र. (1)	अपराध का नाम (2)	राहत की न्यूनतम रकम (3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना [धारा 3 (1) (i)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और उसकी गंभीरता को देखते हुए नब्बे हजार रुपये या उससे अधिक और जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति और मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा.

562

(1)	(2)	(3)
2.	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना [धारा 3 (1) (ii)]	दिये जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : 1. 25 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप-पत्र भेजा जाये. 2. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाये.
3.	अनादर सूचक कार्य [धारा 3 (1) (iii)]	
4.	सदोष भूमि को अधिभोग में लेना या भूमि पर पर कृषि करना, आदि [धारा 3 (1) (iv)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम नब्बे हजार रुपये या उससे अधिक भूमि या परिसर या जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकार के खर्च पर पुन: वापस की जाएगी. जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये, पूरा भुगतान किया जाये.
5.	भूमि परिसर या जल से संबंधित [धारा 3 (1) (v)]	
6.	बेगार या बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी [धारा 3 (1) (vi)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम नब्बे हजार रुपये प्रथम सूचना रिपोर्ट होने की अवस्था में 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में [धारा 3 (1) (vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति से पचहत्तर हजार रुपये तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है.
8.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [धारा 3 (1) (viii)]	नब्बे हजार रुपये या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो.
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी [धारा 3 (1) (ix)]	
10.	अपमान, अभित्रास और अवमानना [धारा 3 (1) (x)]	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को नब्बे हजार रुपये तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोषसिद्ध होने पर.
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना [धारा 3 (1) (xi)]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को एक लाख अस्सी हजार रुपये, चिकित्सा जांच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाये और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाये.
12.	महिला का लैंगिक शोषण [धारा 3 (1) (xii)]	
13.	पानी गंदा करना [धारा 3 (1) (xiii)]	तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये तक जब पानी को गंदा कर दिया जाये तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाये भुगतान किया जाये.

(1)	(2)	(3)
14.	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना [धारा 3 (1) (xiv)]	तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये तक तक या मार्ग के अधिकार को पुन: बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर, 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना [धारा 3 (1) (xv)]	स्थल बहाल करना, ठहरने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को नब्बे हजार रुपये का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण, यदि नष्ट किया गया हो. पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाये.
16.	मिथ्या साक्ष्य देना [धारा 3 (2) (i) और (ii)]	कम से कम तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना. [धारा 3 (2) (v)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम एक लाख अस्सी हजार रुपये यदि अनुसूची में विशिष्ट अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा.
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न [धारा 3 (2) (vii)]	उसी प्रकार से प्रतिकर का भुगतान किया जाये, जिस प्रकार से यदि अभियुक्त लोक सेवक न हो.
19.	नि:शक्तता : नि:शक्तता की परिभाषा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशा निर्देश, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 01-06-2001 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक 154, समय-समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी. अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबंध-2 पर संलग्न है. (क) 100 प्रतिशत असमर्थता	
	(i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम तीन लाख पचहत्तर हजार, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.
	(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम सात लाख पचास हजार रुपये, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट या चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाये और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.

(1)	(2)	(3)
	(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है	परंतु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित को परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रुपये से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रुपये से अन्यून रकम की कमी की जायेगी.
20.	हत्या या मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य (ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	 प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये. 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर. प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रुपये. 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थतता और डकैती का पीड़ित.	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाये :- (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को चार हजार पांच सौ रुपये प्रति माह की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा. (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्च. बच्चों को आश्रम के विद्यालयों या आवासीय विद्यालयों में दाखिल किया जाये. (iii) तीन माह की अवधि तक के लिए बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था.
22.	पूर्णतया नष्ट करना या जला हुआ मकान	जहां मकान को जला दिया गया है या नष्ट किया गया हो, वहां सरकार के खर्च पर ईंट-पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाये."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.